Vidhan Sabha Question

Immediate/Out Today

Govt. of National Capital Territory of Delhi
Office of the Commissioner Food Supplies and Consumer Affairs
K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002
(Coordination Branch)

e-mail:-fsocoordination@gmail.com

File No. F.3/F&S/DLA/Coord/2021/001 Date :- 03/01/2022

To

The Dy. Secretary (Question Branch),
Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat,
Delhi-54

Sub:- Delhi Legislative Assembly Starred Question No. **22** asked by **Sh. Vijender Gupta, MLA** due for answer on 04/01/2021.

Sir,

With Reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar Sinandi)
Asstt. Commissioner, F&S

File No. F.3/F&S/DLA/Coord/2021/001 Date :- 03/01/2022

Copy for information:

Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

Scanned by TapScanner

विभाग का नाम:-खाद्यआपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :के ब्लाक, विकास भवन, आईपी इस्टेट
नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या-: 22

दिनांक-:04.01.2022

प्रश्न करता का नाम -:श्री विजेंद्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि स्कूल के अध्यापकों को लाक डाउन अवधि के दौरान राशन वितरण के काम में तैनात किया गया था	जी हाँ,
ख) क्या अध्यापकों को इस प्रकार गैर-शिक्षा संबंधी कार्यों में लगाया जाना उचित है	कोरोना महामारी के दौरान महामारी एक्ट का अनुसरण करने हुए एवं डीडीएमए के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन करते हुए सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी प्रयुक्त हुए जिसमे शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है।
ग) यदि हां तो वे कौन- से वैधानिक प्रावधान है जो इसकी अनुमति देते हैं	बिंदु ख के अनुरूप
अघ) क्या यह उचित था कि अध्यापकों को तीन महीने बाद राशन की खाली बोरी को वापस करने के लिए कहा गया	दिनांक 24.02.2021 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सभी जोनल सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए थे कि गैर पीडीएस अनाज की खाली बोरियां जोकि विद्यालय के कमरों में पड़ी हुई हैं उनकी नीलामी कर दी जाए और जो भी पैसा इकट्ठा हो वह सरकारी खजाने में TR-V के जरिए जमा करा दिया जाए ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत से विद्यालयों के अधिकारियों द्वारा खाली बोरियों का निपटान करने के लिए अनुरोध हो रहा था क्योंकि विद्यालयों को शिक्षा के लिये दोबारा से खोलने का प्रस्ताव चल रहा था
ड) क्या अध्यापकों ने कोरोना वारियर के रूप में भी कार्य किया था और राहत उपलब्ध कराने में वे अग्रिम पंक्ति में थे	शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, जी हाँ, दिल्ली सरकार इस बात को लेकर बेहद गौरवान्वित है कि हमारे अध्यापक साथियों ने इस महामारी के समय कोरोना-वारियर के रूप में कार्य किया है।
च) यदि हां तो क्या जिन अध्यापकों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई उनके परिजनों को भी करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि तथा करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई	कैबिनेट निर्णय स. 2835 दिनांक 13/05/2020 के तहत जिन अध्यापको कि ड्यूटी दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से सम्बंधित कार्यो में लगायी गयी है और उस ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है उनके परिवार को एक करोड़ रुपये कि मुआवजा राशि, दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है उपरोक्त कैबिनेट निर्णय के अनुसार, करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोई भी प्रावधान नहीं है।
छ) इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं	वह अध्यापक जिनके परिवार को एक करोड़ रुपये कि मुआवजा राशि दिल्ली सरकार की तरफ से दी गयी है उनका विवरण इस प्रकार है :- 1 श्रीमती बैकली सरकार,अनुबंधित अध्यापक,एम सी पी ए एस भठोला 2 श्री ओम पाल, प्राध्यापक, जी बी एस एस एस, कल्याणपुरी 3 श्री नितिन तनवार, पी आर टी, एम सी पी एस, नारायणा 4 श्री श्योजी मिश्रा, टी जी टी, अंग्रेजी, कल्याणपुरी

Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food,Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K- Block, Vikas Bhawan, I. P Estate
New Delhi- 110092

Scanned by TapScanner